ज्ञापांक 1628 /एक्स0एल0

XL (विविध) 63/2012

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार,(रेल सहित)।

पटना, दिनांक :– 01/03/2016

प्रसंगः– पुलिस मुख्यालय का ज्ञापांक–36/विधि–व्यवस्था, दिनांक–26.04.2012 ज्ञापांक–1324/एक्स0एल0, दिनांक–22.04.2013 एवं बिहार पुलिस मुख्यालय का ज्ञापांक–715/सांख्यिकी, दिनांक–15.05.2015

विषयः– थाना स्तर पर विधि–व्यवस्था एवं अनुसंधान शाखा का अलग–अलग गठन करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पुलिस एक्ट–2007 के नियम–36 तथा बिहार पुलिस हस्तक के नियम "157 अ" में वर्णित प्रावधानों के आलोक में राज्य में विधि–व्यवस्था की स्थिति एवं वैज्ञानिक पद्वति से अनुसंधान कर अपराधियों को सजा दिलाने की त्वरित कार्रवाई में गुणात्मक सुधार लाने के लिए थाना स्तर पर विधि–व्यवस्था एवं अनुसंधान के कार्यो को अलग–अलग करने का निर्णय लिया गया था। प्रथम चरण में इस व्यवस्था को पटना के 23 (तेईस) शहरी थानों में लागू किया गया था। द्वितीय चरण में मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर एवं दरंभगा जिलो के कुल 11(ग्यारह) थानों में यह व्यवस्था लागू की गई। तृतीय चरण में जिला मुख्यालय/पुलिस अनुमंडल तथा अन्य महत्वपूर्ण कुछ थानों को शामिल कर राज्य के कुल 155 थानों में थानाध्यक्ष के पद को पुलिस अवर निरीक्षक के कोटि से पुलिस निरीक्षक की कोटि में उत्क्रमित कर यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है (इस संबंध में दोनो प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।)

दिनांक–24.02.2016 को पुलिस महानिदेशक द्वारा आहूत बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिन थानों में अभी तक विधि–व्यवस्था एवं अनुसंधान की इकाई को अलग नही किया गया है उन थानों में भी इसे लागू किया जाय।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में यह व्यवस्था उन्हीं थानों में क्रियान्वित की गयी थी जहाँ थानाध्यक्ष के पद पर पुलिस निरीक्षक कोटि के पदाधिकारी कार्यरत है अथवा थानाध्यक्ष के पद को पुलिस निरीक्षक की कोटि में उत्क्रमित कर इसे लागू किया गया। लेकिन अब शेष बचे जिन थानों में इसे लागू किया जाना है वहाँ पर पुलिस अवर निरीक्षक की कोटि के पदाधिकारी ही थानाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। इन बचे हुए थानों में थानाध्यक्ष के पद को पुलिस निरीक्षक की कोटि में उत्क्रमित करने की आवश्यकता नही है।

थाना के सभी कार्यो को विधि–व्यवस्था एवं अनुसंधान शाखाओं में विभाजित किया जायेगा तथा इनमे पदस्थापन सम्बद्ध वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पुलिस मुख्यालय के दोनों प्रासंगिक पत्रों में दिये गये है जो थानाध्यक्ष के पद पर पुलिस निरीक्षक के पद पर पदस्थापन किये जाने को छोड़कर इन शेष थानों पर भी लागू होंगे।

बिहार पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक–715/सांख्यिकी,दिनांक–15.05.2015 द्वारा अनुसंधान शाखा के लिये पुलिस पदाधिकारियों के चयन हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं तथा अनुसंधान शाखा के पदाधिकारियों के कार्यो की समीक्षा हेतु दिशा निर्देश भी दिये गये है। अनुसंधान शाखा में पदाधिकारियों के चयन तथा उनके कार्यो की समीक्षा में इसका सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः निर्देश दिया जाता है कि सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रासंगिक पत्रों में निर्धारित दिशा–निर्देश के आलोक में शेष बचे थानों में विधि–व्यवस्था एवं अनुसंधान शाखा का अलग–अलग गठन कर अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध करायेंगे।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

1/3/16
(पी0के0ठाकुर)
पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान सचिव, गृह विभाग को कृपया सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिदेशक(प्रशिक्षण) बिहार पुलिस अकादमी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
3. सभी अपर पुलिस महानिदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
4. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस–उपमहानिरीक्षक (रेल सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि अपने –अपने प्रक्षेत्र/ क्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

1/3/16
(पी0के0ठाकुर)
पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

203 (49)

आदेश

विषयः— थाना स्तर पर विधि—व्यवस्था एवं अनुसंधान इकाई के अलग—अलग गठन के संबंध में दिशा निर्देश।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पेटिशन संख्या—310/96 प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक—22.09.2006 को पारित दिशा निर्देश में थाना स्तर पर विधि—व्यवस्था एवं अनुसंधान के कार्यों को अलग—अलग करने का उल्लेख है। प्रायः पुलिस बल अक्सर विधि—व्यवस्था संधारण में ही व्यस्त रहता है। थाना स्तर पर अनुसंधान इकाई को पृथक करने से वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान कर अपराधियों को सजा दिलाने की कार्रवाई में गुणात्मक सुधार अपेक्षित है। दोनों इकाईयों को अलग—अलग करने की परिस्थिति में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अनुसंधान एवं विधि—व्यवस्था इकाईयों में आपसी तालमेल एवं सहयोग बना रहे।

इस कार्य हेतु पूर्व में पुलिस महानिदेशक कार्यालय के ज्ञापांक—36/विधि व्यवस्था दिनांक— 26.04.2012 के द्वारा पटना शहरी क्षेत्र के 23 थानों एवं ज्ञापांक—1324/एक्स0एल0 दिनांक— 22.0.4.2013 द्वारा राज्य के 155 पुलिस थानों में थाना स्तर पर विधि—व्यवस्था एवं अनुसंधान इकाई के अलग—अलग करने का आदेश दिया गया था। इस संबंध में पूर्व में निर्गत आदेशों के कियान्वयन के सिलसिले में निम्नांकित अतिरिक्त निर्देश दिये जाते है :—

2. अनुसंधान शाखा के लिए पुलिस पदाधिकारियों के चयन हेतु निम्नलिखित मापदण्ड अपनाया जाएगा:—

(i) पदाधिकारी के सेवा काल में अज्ञात के विरूद्व दर्ज हत्या,डकैती, लूट,अपहरण कांडों के सफल अनुसंधान एवं उदभेदन तथा इसका प्रतिशत ।

(ii) पुलिस पदाधिकारी द्वारा पूर्व में किये गये अनुसंधान में वैज्ञानिक अनुसंधान पद्वति का अनुप्रयोग।

(iii) CDTS/CBI/Central Police Academy/State Police Academy जैसे संस्थानों द्वारा आयोजित अनुसंधान से संबंधित विशेष पाठ्यकमों, बैंक फॉड, साईबर काईम आदि से संबंधित विशेष प्रशिक्षण कार्यकमों में प्रशिक्षित।

(iv) पूर्व में अनुसंधानित कांडों की गुणवत्ता तथा उनके न्यायिक विचारण के परिणाम।

(v) अनुसंधान से संबंधित घटनास्थल के निरीक्षण में त्रुटि, साक्ष्य संकलन में लापरवाही, कांड दैनिकी आलेखन में दीर्घ सूत्रता एवं लापरवाही, समय—सीमा के अंदर अनुसंधान पूर्ण नहीं करने, धारा 167(3) द0प्र0स0 के तहत अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने, वैज्ञानिक अनुसंधान की अनदेखी करने, पक्षपातपूर्ण अनुसंधान करने आदि का कोई आरोप नहीं लगा हो।

(vi) पदाधिकारी के विरूद्व न्यायालय की कोई प्रतिकूल टिप्पणी न हो।

पुलिस अधीक्षक सामान्यतः अनुसंधान में निपुण पुलिस पदाधिकारियों को ही अनुसंधान शाखा में प्रतिनियुक्त करेंगे।

3. गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए यह आवश्यक है कि अनुसंधानक दबावमुक्त एवं बिना बाहरी प्रभाव के अनुसंधान कार्य निष्पादित करें। साक्ष्यों का संकलन अवाध रूप से करें। पुलिस अधीक्षक द्वारा निष्पक्ष/दबावमुक्त अनुसंधान सुनिश्चित करने हेतु नियमन तंत्र विकसित किया जाय। काण्डों की समीक्षा नियमित अंतराल पर किया जाय ताकि सभी अनुसंधानकों को भय हो कि दुष्प्रभावित होकर यदि उनके द्वारा अनुसंधान कार्य किया जाएगा तो निश्चित ही उनके विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी पुलिस अधीक्षक अपने पदाधिकारियों को सही अनुसंधान करने के लिए न केवल प्रेरित करेंगे बल्कि उन्हें संरक्षण भी देंगे।

(क) अनुसंधान इकाई में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी माह में कम से कम एक बार करेंगे एवं इस संबंध में प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक को देंगे।

(ख) प्रत्येक त्रैमास पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा अनुसंधान इकाई के पदाधिकारियों के कार्यो की समीक्षा की जाएगी। कार्यों की समीक्षा किये जाने पर यदि किसी अनुसंधानक के विरूद्व कोई प्रतिकूल कोई तथ्य आता है तो ऐसे पुलिस पदाधिकारी को पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय उप—महानिरीक्षक के संज्ञान में लाते हुए अनुसंधान ईकाई से हटाने का निर्णय लेंगे।

(ग) क्षेत्रीय पुलिस उप—महानिरीक्षक जिलों के थानों में गठित अनुसंधान इकाई में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों के कार्यों की प्रत्येक छः माह पर समीक्षा करेंगे

(ङ) प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, प्रत्येक वर्ष समीक्षा करेंगे। लापरवाह अनुसंधानकों को अनुसंधान इकाई से हटानें तथा उनके विरूद्व अनंशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करायेगें।

(च) अनुसंधान इकाई में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों की कार्यावधि कम से कम 02 वर्षो की होगी।

4.

(क) अनुसंधान इकाई सभी गंभीर अपराध के काण्डों यथा–हत्या, हत्या का प्रयास, गंभीर दंगा, संपत्ति मूलक अपराध, महिला एवं बाल अपराध, आर्थिक अपराध, NDPS Act आदि का अनुसंधान करेगी। विधि–व्यवस्था शाखा द्वारा थाना के शेष सभी कार्यों के अतिरिक्त सामान्य दंगा, दुर्घटना एवं अन्य साधारण कोटि के काण्डों का अनुसंधान किया जाएगा। कर्त्तव्य के बंटवारे में किसी विवाद का निपटारा थानाध्यक्ष द्वारा तात्कालिक रूप से तथा पुलिस अधीक्षक के स्तर पर अंतिम रूप से लिया जाएगा।

(ख) हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार अपहरण, गंभीर दंगा जैसे गंभीर कोटि के अपराधों के अन्वेषण के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए सीधे नियुक्त पुलिस अवर निरीक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षित किया जाता है। सिपाही से सहायक अवर निरीक्षक तथा अवर निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत पुलिसकर्मियों को पदोन्नति से पूर्व दिये गये प्रशिक्षण के क्रम में वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित मामलों पर दिये गये प्रशिक्षण का स्तर सीधे नियुक्त पुलिस अवर निरीक्षकों को उन विषयों पर दी गई प्रशिक्षण से क्रम स्तर का होता है। इसलिए हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, गंभीर दंगा जैसे गंभीर कोटि के अपराधों का अन्वेषण यथासंभव अनुसंधान इकाई में प्रतिनियुकत सीधे नियुक्त एवं अनुसंधान में दक्ष पुलिस अवर निरीक्षकों द्वारा कराया जाय।

(ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील सं0 169/2014 पेरूमल बनाम जानकी में दिनांक 20.01.2014 तथा क्रिमिनल अपील सं0 1485/2008 गुजरात राज्य बनाम किशन भाई एवं अन्य में दिनांक 07.01.2014 को पारित आदेश के आलोक में अपराध के अनुसंधान एवं अभियोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दिशा निर्देश जारी किया गया है जिसके तहत जिला एवं राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। गठित समिति द्वारा न्यायालय के दोषमुक्ति के आदेशों की समीक्षा कर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

15/5/15
(पी०के० ठाकुर)
पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–715/सांख्यिकी
बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना।

पटना, दिनांक–15/5/15

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण)/बिहार पुलिस अकादमी, बिहार, पटना को सूचनार्थ।
3. सभी अपर पुलिस महानिदेशक को कृपया सूचनार्थ।
4. सभी पुलिस महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।
5. सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।
6. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

15/5/15
पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

आदेश

विषय : थाना स्तर पर विधि–व्यवस्था एवं अनुसंधान शाखा का अलग–अलग गठन।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पेटिशन संख्या 310/96 प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक 22.09.2006 को पारित दिशा निर्देश में थाना स्तर पर विधि–व्यवस्था एवं अनुसंधान के कार्यों को अलग–अलग करने की आवश्यकता बताई गयी है। प्रायः आपराधिक घटना घटित होने के पश्चात पुलिस बल विधि–व्यवस्था संधारण में ही व्यस्त रहता है। घटना के फौरन बाद के अनुसंधान हेतु सबसे आवश्यक घंटे व्यर्थ हो जाते हैं, जिससे अनुसंधान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दोनों शाखाओं को अलग करने से विधि व्यवस्था संधारण एवं वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान कर अपराधियों को सजा दिलाने की त्वरित कार्रवाई में गुणात्मक सुधार हो सकता है। दोनों शाखाओं को अलग–अलग करने की परिस्थिति में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था शाखाओं में आपसी तालमेल एवं सहयोग बना रहे। इस कार्य हेतु निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. थाना के सभी कार्यों को विधि–व्यवस्था एवं अनुसंधान शाखाओं में विभाजित किया जायेगा। **इस आदेश से यह व्यवस्था राज्य के 155 पुलिस थानों में दिनांक 01.05.2013 से लागू की जायेगी।** थानों की सूची साथ संलग्न है। इन थानों के थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक कोटि के पदाधिकारी होंगे। राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य से गृह (आरक्षी) विभाग के ज्ञापांक 4/ब. 1–01/2012 गृ.आ.–2749 दिनांक 09.04.2013 इन थानों के लिए पुलिस निरीक्षक के पद स्वीकृत किये गये हैं। पुलिस निरीक्षकों का पदस्थापन अलग आदेश से किया जा रहा है।

2. अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था शाखा में पदाधिकारियों का पदस्थापन सम्बद्ध वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाएगा।

3. अनुसंधान शाखा की प्रत्येक टीम में दो अवर निरीक्षक, दो सहायक अवर निरीक्षक, दो हवलदार एवं चार सिपाही रहेंगे। इनके पास विड़ियो/स्टिल कैमरा, आवश्यक वाहन, अनुसंधान कीट एवं अन्य आवश्यक उपकरण रहेंगे। स्थानीय आवश्यकतानुसार टीमों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। पुलिस अधीक्षक विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों की भी सहायता लेंगे।

4. विधि–व्यवस्था शाखा की प्रत्येक टीम में दो अवर निरीक्षक, चार सहायक अवर निरीक्षक, चार हवलदार एवं चौबीस सिपाही रहेंगे। विधि–व्यवस्था शाखा के अधीन आवश्यक वाहन, टेप, रस्सी, चॉक पीस, विडियो/स्टिल कैमरा इत्यादि उपलब्ध रहेंगे। स्थानीय आवश्यकतानुसार टीमों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी।

5. अनुसंधान शाखा सभी गंभीर अपराध के कांडों का अनुसंधान करेगी यथा–हत्या, हत्या का प्रयास, गंभीर दंगा, संपत्ति मूलक अपराध, महिला एवं बाल अपराध, आर्थिक अपराध NDPS Act इत्यादि। विधि व्यवस्था शाखा द्वारा थाना के शेष सभी कार्यों के अतिरिक्त सामान्य दंगा, दुर्घटना एवं अन्य साधारण कोटि के कांडों का अनुसंधान किया जायेगा। कर्तव्य के बंटवारे में किसी विवाद का निपटारा तक्षण थानाध्यक्ष द्वारा एवं अग्रिम निर्णय पुलिस अधीक्षक के स्तर पर लिया जाएगा।

6. विधि–व्यवस्था से संबंधित सभी संचिकाओं एवं बहियों का संधारण विधि–व्यवस्था शाखा तथा अनुसंधान से संबधित सभी संचिकाओं एवं बहियों का संधारण अनुसंधान शाखा के कर्मियों द्वारा किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक समय–समय पर उचित दिशा–निर्देश पारित करेंगे।

7. सामान्यतः अनुसंधान शाखा के कर्मी अनुसंधान का कार्य करेंगे, परन्तु थानाध्यक्ष द्वारा अतिविशिष्ट परिस्थितियों में इन्हें अतिरिक्त कार्यों में लगाया जा सकेगा।

8. सामान्यतः पूर्व के लंबित कांडों का अनुसंधान यथावत पूर्व के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया जायेगा। अनुसंधान शाखा के गठन के पश्चात प्रतिवेदित होने वाले कांडों का अनुसंधान इस शाखा द्वारा किया जायेगा।

9. सभी कर्मी वर्दी पहनेगें एवं थाना क्षेत्र में बाहर थानाध्यक्ष को सूचित किये बगैर नहीं जायेंगे।

10. थाना में पदस्थापित पदाधिकारी आवास उपलब्ध होने की स्थिति में थाना परिसर में उपलब्ध सरकारी आवास में रहेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये थाना परिसर में आसानी से उपलब्ध हो सकें।

11. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी माह में कम से कम एक बार अनुसंधान शाखा के कार्यों की समीक्षा करेंगे एवं इस संबंध में प्रतिवेदन वरीय पुलिस अधीक्षक को देंगे।

गवाही देंगे। अनुसंधान शाखा के कर्मियों का घटनास्थल पर पहु [illegible]
कार्य उनके द्वारा किया जायेगा।

13. थानाध्यक्ष अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। अनुसंधान शाखा के पदाधिकारियों को अनुसंधान एवं छापामारी में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे एवं संसाधन उपलब्ध करायेंगे।

14. ओ.डी. डियूटी विधि–व्यवस्था शाखा के पदाधिकारियों द्वारा की जायेगी थाना दैनिकी की प्रविष्टि के पार्श्व में जिस शाखा से संबंधित प्रविष्टि होगी उसके समक्ष CR/LO लिखा जायेगा।

(अभयानन्द),
पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1324 /एक्स.एल.

बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना।

पटना, दिनांक 22/04/2012

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण)/बिहार पुलिस अकादमी, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
3. सभी अपर पुलिस महानिदेशक को कृपया सूचनार्थ।
4. सभी पुलिस महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
5. सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
6. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

क्र. सं.	जिला	थानों के नाम	अतिरिक्त पुलिस निरीक्षकों की संख्या
1.	पटना	1. पत्रकारनगर, 2. बेउर 3. एयरपोर्ट, 4. रामकृष्णानगर, 5. बाईपास, 6. परसाबाजार, 7. मेहन्दीगंज, 8. साहपुर, 9. बहादुरपुर, 10. मुसल्लहपुर, 11. फतुहा, 12. पालीगंज, 13. मसौढ़ी, 14. बख्तियारपुर	14
2.	नालन्दा	1. लहेरी, 2. सोहसराय, 3. राजगीर, 4. हिलसा	04
3.	रोहतास	1. मुफ्फसिल, 2. डेहरी 3. विक्रमगंज 4. रोहतास	04
4.	भोजपुर	1. नवादा 2. मुफ्फसिल 3. पिरो 4. जगदीशपुर	04
5.	कैमूर	1. भभुआ 2. मोहनिया 3. अधौरा	03
6.	बक्सर	1. मुफ्फसिल 2. डुमरांव 3. ब्रह्मपुर	03
7.	गया	1. मुफ्फसिल 2. रामपुर 3. डेल्हा 4. मगध मेडिकल 5. बोधगया 6. शेरघाटी 7. वजीरगंज 8. टेकारी 9. नीमचक बथानी 10. इमामगंज 11. डुमरिया 12. बाराचट्टी	12
8.	नवादा	1. मुफ्फसिल 2. रजौली 3. वारसलीगंज	03
9.	औरंगाबाद	1. मुफ्फसिल 2. दाउदनगर 3. नवीनगर 4. मदनपुर	04
10.	जहानाबाद	1. मखदुमपुर 2. घोषी	02
11.	अरवल	1. अरवल	01
12.	मुजफ्फरपुर	1. सदर 2. अहियापुर 3. विश्वविद्यालय 4. इंडस्ट्रीयल 5. कांटी 6. मोतीपुर 7. मीनापुर	07
13.	सीतामढ़ी	1. बेलसण्ड 2. सुरसण्ड 3. रून्नीसैदपुर	03
14.	वैशाली	1. सदर 2. इंडस्ट्रीयल 3. महुआ 4. महनार	04
15.	शिवहर	1. शिवहर 2. तरियानी 3. श्यामपुर भट्हा	03
16.	सारण	1. मुफ्फसिल 2. भगवानबाजार 3. सोनपुर 4. मड़हौरा	04
17.	सिवान	1. गौतमबुद्धनगर 2. महाराजगंज	02
18.	गोपालगंज	1. गोपालगंज 2. हथुआ	02
19.	बेतिया	1. मुफ्फसिल 2. नरकटियागंज	02
20.	मोतिहारी	1. छतौनी 2. पकड़ीदयाल 3. चकिया 4. गोविन्दगंज 5. डाका	05
21.	बगहा	1. बगहा 2. रामनगर 3. बाल्मिकीनगर	03
22.	दरभंगा	1. सदर 2. बहादुरपुर 3. एल.एम.एन. विश्वविद्यालय 4. बिरौल 5. बेनीपुर	05

23.	मधुबनी	1. नगर 2. फुलपरास 3. जयनगर 4. झंझारपुर 5. बेनीपट्टी	05
24.	समस्तीपुर	1. मुफ्फसिल 2. पठोरी 3. रोसरा 4. दलसिंहसराय	04
25.	पूर्णियां	1. खजांचीहाट 2. बनमंखी 3. धमदाहा 4. बैंसी	04
26.	अररिया	1. नगर 2. फारबिसगंज 3. जोगबनी	03
27.	किशनगंज	1. किशनगंज 2. ठाकुरगंज	02
28.	कटिहार	1. मुफ्फसिल 2. बारसोई 3. मनिहारी	03
29.	सहरसा	1. सहरसा 2. सिमरी बख्तियारपुर	02
30.	सुपौल	1. सुपौल 2. निर्मली 3. त्रिवेदीगंज 4. बीरपुर	04
31.	मधेपुरा	1. मधेपुरा 2. उदाकिशनगंज	02
32.	भागलपुर	1. ईशाचक 2. हबीबपुर 3. लोदीपुर 4. ततारपुर 5. कहलगांव 6. सुल्तानगंज	06
33.	बांका	1. बांका 2. बेलहर	02
34.	नवगछिया	1. नवगछिया	01
35.	मुंगेर	1. मुफ्फसिल 2. काशीमबाजार 3. ईस्ट कॉलोनी 4. खड़गपुर 5. जमालपुर	05
36.	जमुई	1. जमुई 2. झाझा 3. चकाई 4. खैरा	04
37.	लखीसराय	1. लखीसराय 2. बड़हिया 3. सूर्यगढ़ा	03
38.	शेखपुरा	1. शेखपुरा 2. बरबिगहा	02
39.	खगड़िया	1. खगड़िया 2. गोगरी	02
40.	बेगुसराय	1. नगर 2. मुफ्फसिल 3. बरौनी 4. बखरी 5. मंझौली 6. तेघरा 7. बलिया	07
		कुल	155

आवश्यकता बताई गया है। कई बार अपराधिक घटना के घटित होने के पश्चात् पुलिस बल विधि–व्यवस्था संधारण के कार्य में ही संलग्न हो जाता है और घटना के फौरन बाद के अनुसंधान हेतु सबसे आवश्यक घंटे व्यर्थ हो जाते हैं, जिससे अनुसंधान पर बुरा असर पड़ता है । दोनों शाखाओं को अलग करने से विधि–व्यवस्था की स्थिति एवं वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान कर अपराधियों को सजा दिलाने की त्वरित कार्रवाई में गुणात्मक सुधार हो सकता है। दोनों शाखाओं को अलग–अलग करने की परिस्थिति में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था शाखाओं में आपसी तालमेल एवं सहयोग बना रहे। इस कार्य हेतु निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. थाना के सभी कार्यों को विधि–व्यवस्था एवं अनुसंधान शाखाओं में विभाजित किया जायेगा। सर्वप्रथम यह कार्य पटना जिला के (1) कोतवाली (2) बुद्धाकॉलोनी (3) पाटलीपुत्र (4) दीघा (5) गांधी मैदान (6) कदमकुंआ (7) पीरबहोर (8) एस0के0पुरी (9) सचिवालय (10) शास्त्रीनगर (11) गर्दनीबाग (12) सुल्तानगंज (13) आलमगंज (14) अगमकुंआ (15) खाजेकलां (16) दीदारगंज (17) चौक (18) मालसलामी (19) कंकड़बाग (20) जक्कनपुर (21) दानापुर (22) खगौल एवं (23) फुलवारी थानों में किया जायेगा।
2. अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था शाखा में पदाधिकारियों का पदस्थापन का कार्य वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा किया जाएगा।
3. अनुसंधान शाखा की प्रत्येक टीम में दो अवर निरीक्षक, दो सहायक अवर निरीक्षक, दो हवलदार एवं चार सिपाही रहेंगे। इनके अधीन विडियो/स्टिल कैमरा, आवश्यक वाहन अनुसंधान कीट एवं अन्य आवश्यक उपकरण रहेंगे । स्थानीय आवश्यकतानुसार टीमों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। पुलिस अधीक्षक विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों की भी सहायता लेंगे ।
4. विधि–व्यवस्था शाखा की प्रत्येक टीम में दो अवर निरीक्षक, चार सहायक अवर निरीक्षक, चार हवलदार एवं चौबीस सिपाही रहेंगे। इस कार्य हेतु दंगा निरोधी एक कंपनी पटना जिला में प्रशिक्षित है, दो अतिरिक्त कंपनियों को दंगा निरोधी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पड़ेगी । विधि–व्यवस्था शाखा के अधीन आवश्यक वाहन, टेप, रस्सी, चॉक पीस, विडियो/स्टिल कैमरा इत्यादि उपलब्ध रहेंगे। स्थानीय आवश्यकतानुसार टीमों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी।
5. अनुसंधान शाखा सभी गंभीर अपराध के कांडों का अनुसंधान करेगी यथा–हत्या, हत्या का प्रयास, गंभीर दंगा, संपत्ति मूलक अपराध, महिला एवं बाल अपराध, आर्थिक अपराध,- NDPS Act इत्यादि। विधि–व्यवस्था शाखा द्वारा थाना के शेष सभी कार्यों के

अतिरिक्त सामान्य दंगा, दुर्घटना एवं अन्य साधारण कोटि के कांडों का अनुसंधान किया जायेगा। कर्तव्य के बंटवारे में किसी विवाद कां निपटारा तक्षण थानाध्यक्ष द्वारा एवं अग्रिम निर्णय वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के स्तर पर लिया जाएगा ।

6. विधि–व्यवस्था से संबंधित सभी संचिकाओं एवं बहियों का संधारण विधि–व्यवस्था शाखा तथा अनुसंधान से संबंधित सभी संचिकाओं एवं बहियों का संधारण अनुसंधान शाखा के कर्मियों द्वारा किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक समय–समय पर उचित दिशा–निर्देश पारित करेगें।
7. सामान्यतः अनुसंधान शाखा के कर्मी अनुसंधान का कार्य करेंगे, परंतु थानाध्यक्ष द्वारा अतिविशिष्ट परिस्थितियों में इन्हें अतिरिक्त कार्यों में लगाया जा सकेगा।
8. सामान्यतः पूर्व के लंबित कांडों का अनुसंधान यथावत पूर्व के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया जायेगा। अनुसंधान शाखा के गठन के पश्चात प्रतिवेदित होने वाले कांडों का अनुसंधान इस शाखा द्वारा किया जायेगा।
9. सभी कर्मी वर्दी पहनेगें एवं थाना क्षेत्र से बाहर थानाध्यक्ष को सूचित किये बगैर नहीं जाऐंगे।
10. थाना में पदस्थापित पदाधिकारी आवास उपलब्ध होने की स्थिति में पदस्थापित थाना परिसर में उपलब्ध सरकारी आवास में रहेंगे, ताकिं आवश्यकता पड़ने पर ये थाना परिसर में आसानी से उपलब्ध हो सकें।
11. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी माह में कम से कम एक बार अनुसंधान शाखा के कार्यो की समीक्षा करेगें एवं इस संबंध में प्रतिवेदन वरीय पुलिस अधीक्षक को देगें।
12. कांड घटित होने की सूचना पर First responder विधि–व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी रहेंगे। घटनास्थल को सुरक्षित रखना, आवश्यक फर्दबयान अंकित करना, यथासंभव घटनास्थल का विडियो रिकार्डिग एवं फोटोग्राफी करना, आवश्यकतानुसार तत्क्षण अपराधियों का पीछा करने का कार्य, मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन, जख्म प्रतिवेदन तैयार करना विधि–व्यवस्था शाखा के कर्मियों का होगा । विधि–व्यवस्था की स्थिति सामान्य होने पर ही विधि–व्यवस्था शाखा के कर्मी घटनास्थल से प्रस्थान करेंगे। गवाह के रूप में ये कांड में गवाही देंगे। अनुसंधान शाखा के कर्मियों का घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात अनुसंधान का कार्य उनके द्वारा किया जायेगा।
13. थानाध्यक्ष अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेगें। अनुसंधान शाखा के पदाधिकारियों को अनुसंधान एवं छापामारी में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे एवं संसाधन उपलब्ध करायेंगे।
14. ओ. डी. डियूटी विधि–व्यवस्था शाखा के पदाधिकारियों द्वारा की जायेगी थाना दैनिकी की प्रविष्टि के पार्श्व में जिस शाखा से संबंधित प्रविष्टि होगी उसके समक्ष CR/LO लिखा जायेगा।

अभयानंद 26/04

(अभयानंद)
पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 36 / विधि–व्यवस्था

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 26.04.2012

प्रतिलिपिः–

1.प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ ।

2.पुलिस महानिदेशक सह महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

3. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ ।

4. पुलिस महानिदेशक ,सिविल डिफेन्स, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ ।

5. महानिदेशक –अध्यक्ष–सह– प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ ।

6..अपर पुलिस महानिदेशक(मुख्यालय) / अपराध अनुसंधान विभाग / विशेष शाखा / बिहार सैन्य पुलिस / विधि –व्यवस्था / बिहार पुलिस अकादमी / प्रशिक्षण / बिहार राज्य विद्युत बोर्ड / बिहार राज्य खेल प्राधिकरण / वितंतु / निगरानी / रेलवे / एस.सी.आर.बी. / आधुनिकीकरण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

7. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पटना / भागलपुर / मुजफ्फरपुर / दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

8. क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

9.वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना / पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण),पटना / पुलिस अधीक्षक(नगर), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

अभयानंद 26/04

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना ।